प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित नमित मेहता आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः **79 / 2025** (अपील सूचना का अधिकार)

कुन्दनमल मेघवाल पुत्र हीरालाल मेघवाल पताः खरसाण, तहसील–वल्लभनगर, उदयपुर

..............अपीलार्थी

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर, उदयपुर

..................प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 18/06/2025

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी के कार्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (6)(1) के अन्तर्गत दिनांक 15.04.2025 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सूचना चाही गई थी जिसमें प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु जरिये पत्रांक रीडर/सू.अ./प्रथम अपील/79/25/510–11 दिनांक 23.05.2025 से लिखा गया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर द्वारा अपने पत्र कमांकः आर.टी.आई./2025/493 दिनांक 10.06.2025 से जवाब प्रस्तुत करते हुए न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा बिन्दु संख्या 1 एवं 3 में चाही गई सूचना तृतीय पक्षकारों से संबंधित है जिनको प्रकट करने से उनके हित प्रभावित होते है। उक्त सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के नियम 8 खण्ड 1(d) के अंतर्गत प्रकट किये जाने से छूट है। बिन्दु संख्या 2 की सूचना विकास अधिकारी पंचायत समिति, वल्लभनगर से संबंधित होने से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत इस कार्यालय के पत्रांक 297 दिनांक 17.04.2025 द्वारा सूचना उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया। विकास अधिकारी पंचायत समिति, वल्लभनगर द्वारा जरिये रजिस्टर्ड पत्रांक 84 दिनांक 23.04.2025 से अपीलार्थी को सूचनाएं भिजवा दी गई। बिन्दु संख्या 4 की सूचना तहसीलदार वल्लभनग से संबंधित होने से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत इस कार्यालय के पत्रांक 291 दिनांक 17.04.2025 द्वारा सूचना उपलब्ध करवाने हेतु अन्दर अवधि भिजवाया गया जिसकी प्रति अपीलार्थी को दी गई। बिन्दु संख्या 5 की सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करवा दी गई। बिन्दु संख्या 6 में कार्यालय संविदा कार्मिक भंवरलाल चौपड़ा के विरूद्ध शिकायत के संबंध में सूचना चाही गई जो अधिनियम की धारा 11(1) के अंतर्गत आती है। उक्त सूचना का प्रकट करने के संबंध में श्री चौपड़ा को कार्यालय के पत्रांक 300 दिनांक 21.04.2025 को इस आशय का भिजवाया गया कि आप सूचना प्रकट करना चाहते है अथवा

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर

नहीं। प्रत्युतर में श्री चौपड़ा ने प्रकट करने से इंकार किया इसलिए अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई। अतः अपीलार्थी की अपील निरस्त करना फरमावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर द्वारा अपीलार्थी को जरिये पत्रांक 404 दिनांक 16.05.2025 से विस्तृत प्रत्युतर/सूचनाएं प्रेषित की गई। जिसके अनुसार बिन्दु संख्या 1 व 3 की सूचना, अधिनियम की धारा 8 खंड1(j) के अंतर्गत तृतीय पक्ष से संबंधित होकर तृतीय पक्ष का हित प्रभावित होने से उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी। बिन्दु संख्या 2 से संबंधित सूचना के लिए विकास अधिकारी पंचायत समिति, वल्लभनगर को निर्धारित समयावधि में अंतरण किया गया, विकास अधिकारी पंचायत समिति, वल्लभनगर द्वारा जरिये पत्रांक 84 दिनांक 23.04.2025 से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवा दी गई। बिन्दु संख्या 5 की सूचना जरिये पत्रांक 375 दिनांक 14.05.2025 से उपलब्ध करवा दी गई एवं बिन्दु संख्या 6 की सूचना संविदा कार्मिक श्री भवंरलाल चौपड़ा की व्यक्तिगत सूचना होने से अधिनियम की धारा 11(1) के तहत श्री चौपड़ा द्वारा सूचना प्रकट करने से मना किये जाने से सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई। प्रथम दृष्टया यह न्यायालय प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर से संतुष्ट है। सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत प्रत्युत्तर के विपरित अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की आपत्ति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। ना ही अपीलार्थी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए है। ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि प्रत्यर्थी द्वारा प्रेषित जवाब/सूचना अपीलार्थी को प्राप्त हो गयी है तथा वह प्रत्यर्थी के जवाब/सूचना से संतुष्ट है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ...18-06-25... को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नमित मेहता)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर